हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.5.18 प्रार्थीगण विनोद कुमार, विजयकुमार वगैरा पि. शंकर लाल द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी से ली गई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी शंकरलाल का मृत्यु प्रमाण-पत्र पेश कर पक्षकार बनाने हेतु प्र.पत्र 01 R 10 CPC पेश किया जिसे प्रतिवादी/अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा No-objection किया गया उक्त प्र.पत्र स्वीकार किया जाता है प्रार्थीगण की ओर से श्री नरेश पारीक एड. ने वकालतनामा पेश किया व फार्म सं.3 के साथ दस्तावेज पेश किये। चूंकि श्रीफिड पेश हुआ प्र.पत्र 01 R 10 CPC स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाया जाता है पत्रावली पूर्व निर्धारित तिथि 30.5.18 को पेश हो [signature]	
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अभिभाषक उप। T.D.R. HMH के पत्र क्रमांक - दिनांक 22.5.18 से नवीन रिपोर्ट प्राप्त हुई है शामिल रहे। प्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के प्र. पत्र का कोई विरोध नहीं होने से प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है, विस्तृत आदेश अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल रहे। T.D.R. HMH को मुताबिक आदेश पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसला शुमार हो आदेश सुनाया गया। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

बईजलासः–सुरेन्द्र सिहं पुरोहित आर.ए.एस.
विविध राजस्व संख्याः–51/2007

शंकरलाल पुत्र श्री मोखराम, (फौत)

1/1. बिनोद कुमार
1/2. विजय कुमार
—–पिसरान शंकरलाल, अकवाम विश्नोई, निवासीयान चक 25 एसटीजी,ह तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़–

1/3. सुदेश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल, जाति विश्नोई, निवासी चक 16 एसटीजी ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

2. निरंजन सिहं
3. महेन्द्र सिहं
4. सुखवीर सिहं
5. गुलाब सिहं
—–पिसरान मजबी, निवासी मसरूवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

—असल अप्रार्थीगण—

6. गुलाब कौर
—–पुत्रीया अजमेर सिहं

7. पंजाब कौर
8. सदा कौर
9. जीवन कौर
10. पाल कौर
—–पुत्रीयां भाग सिहं

11. राजकौर पत्नि भाग सिहं

12. गुरदेव सिहं
13. विक्रम सिहं
14. बलदेव सिहं
—–पिसरान भाग सिहं

15. बलौर सिहं
16. गलवंत सिहं
—–पिसरान सुन्दर सिहं

17. अजमेर कौर
18. संत कौर
19. मीत कौर
20. हरबंश कौर
—–पुत्रीया कपूर सिहं

(6 से 20) —अकवाम मजबी, निवासीयान मसरूवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

—प्रतिवादीगण—

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत शर्त संख्या–8 राजस्थान
उपनिवेशन (सामान्य कॉलोनी) शर्तें 1955

उपस्थितः–श्री नरेश कुमार पारीक, अधिवक्ता–प्रार्थीगण

निर्णय — दिनांकः– 30.5.2018

संक्षेप रूप से तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इन अभिकथनों के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की चक 16 एसटीजी के पत्थर नम्बर–73/304 के किला नम्बर–5 से 8 तादादी 1.012 है0, पत्थर नम्बर–74/304 के किला नम्बर–1, 2,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

(11)

9, 10 तादादी 0.886 है0, पत्थर नम्बर–72/305 के किला नम्बर–3 से 6 तादादी 1.012 है0, पत्थर नम्बर–72/307 के किला नम्बर–12, 17 से 19, 22 से 24 तादादी 1.771 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर–72/308 के किला नम्बर–2 से 4 तादादी 0.759 है0 कुल तादादी 5.440 हैक्टेयर भूमि दर्ज है तथा अप्रार्थीगण संख्या–2 से 20 के मुश्तर्का खाता में चक 16 एसएसटीजी में पत्थर नम्बर–72/303 के किला नम्बर–15 से 17, 24, 25 तादादी 1.265 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर–73/303 किला नम्बर–11, 12, 18 से 23 तादादी 2.024 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर–72/304 के किला नम्बर–5 ,6, 15 तादादी 0.759 है0, पत्थर नम्बर–73/30 के किला नम्बर–1 से 3, 10 तादादी 1.012 कुल तादादी 5.060 हैक्टेयर भूमि दर्ज है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह भी कथन किये कि चक 16 एसटीजी के पत्थर नम्बर–72/303 व पत्थर नम्बर–72/304 व इसी कदर आगे दक्षिण की ओर प्रत्येक मुरब्बा के किला नम्बर–5–6–15–16–25 में रास्ता आम चल रहा है। प्रार्थी इसी रास्ता से होकर अप्रार्थीगण संख्या–2 से 8 के कब्जा काश्त की भूमि पत्थर नम्बर–73/304 के लिा नम्बर–1 से 3 के दक्षिण की ओर 1½ बिस्वा अर्थात 12 फीट चालू रास्ता से अपनी कृषि भूमि के पत्थर नम्बर–73/304 के किला नम्बर–7 में प्रवेश करता है। प्रार्थी अर्सा दराज से इसी रास्ता से आवागमन जारी रखे हुये है। अप्रार्थीगण संख्या–2 से 5 के कब्जा काश्त में पत्थर नम्बर–73/304 किला नम्बर–1 से 3 है। पत्थर नम्बर–73/304 के किला नम्बर–1 से 3 के दक्षिणी ओर चालू रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है तथा यह भूमि अप्रार्थीगण संख्या–2 से 5 के कब्जा काश्त में है। अगर अप्रार्थीगण संख्या–2 से 5 द्वारा प्रश्नगत चालू रास्ता को बन्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण संख्या–8 से 20 को मुश्तर्का खाता में पक्षकार होने के कारण बतौर तरतीबी अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है। क्योंकि जिन किला नम्बर में प्रार्थी द्वारा रास्ता मंजूर करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है वह अप्रार्थीगण संख्या–2 से 5 के कब्जा काश्त में है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16 एसटीजी के पत्थर नम्बर–73/304 के किला नम्बर–1 से 3 के दक्षिणी ओर चालू रास्ता 1½ बिस्वा अर्थात 12 फीट चालू रास्ता को मंजूर कर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या–2 से 5 की ओर से श्री विनोद कुमार मण्डा एडवोकेट ने हाजिर आये। अप्रार्थीगण संख्या–2 से 5 की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उनका दिनांक 23–04–2008 को जबाव बन्द किया गया। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई।

बहस प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह कथन किया कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ की तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रश्नगत रास्ता चक 16 एसटीजी के पत्थर नम्बर–73/304 के किला नम्बर–1 से 3 के दक्षिणी सिरे पर मौका पर चालू होने की आई तथा प्रार्थीगण को इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता अपने खेत में जाने के लिये उपलब्ध नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार रास्ता मंजूर फरमाया जावे तथा इसके बदले में प्रार्थीगण उक्त रास्ता की एवज में राशि देने को तत्पर व तैयार है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किये कि दिनांक 15–05–2006 को रास्ता की भूमि बाबत प्रार्थीगण के पिता द्वारा एक लिखत इकरारनामा की हुई है तथा अप्रार्थीगण संख्या–2 से 5 को रास्ता की भूमि के बदले उसकी कीमत 48000/–रूपया अदा की हुई है।

प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट कथन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में उक्त रास्ता के अलावा ओर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 एसटीजी के पत्थर नम्बर–73/304 के किला नम्बर–1 से 3 के दक्षिणी सिरे पर 1½ बिस्वा मंजूर किया जाना न्यायोचित है तथा रास्ता में आई भूमि की एवज में प्रार्थीगण तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ के समक्ष डीएलसी की दुगनी राशि जमा करवाकर प्रश्नगत रास्ता को राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 एसटीजी के पत्थर नम्बर–73/304 के किला नम्बर–1 से 3 के दक्षिणी सिरे पर पूर्व से पश्चिम 1½ बिस्वा मंजूर किया जाता है तथा इसकी रास्ता में आई भूमि की एवज में प्रार्थीगण तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ के समक्ष डीएलसी की दुगनी राशि जमा करवाकर प्रश्नगत रास्ता को राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने के अधिकारी होगें। उक्तानुसार तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पत्र जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.5.2018 को मेरे लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिहं पुरोहित)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner